(10

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0–08/2009

(आर0एम0ए0)

कमीशन मराण्डी

बनाम

शिवचरण मराण्डी वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25.10.2017	**आदेश** यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा प्रधानी नियुक्ति वाद सं0–09/2007 में दिनांक 09.07.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता कमीशन मराण्डी, पिता–मुन्शी मराण्डी, सा0–छोटा तालडीह, थाना–आमड़ापाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। इनका कहना है कि अपीलकर्त्ता के परदादा मौजा–छोटा तालडीह के खतियानी प्रधान थे एवं उनका दादाजी उक्त मौजा के अन्तिम प्रधान थे। अपीलकर्त्ता के दादाजी की मृत्यु के बाद इस मौजा में किसी प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई है। मौजा खास है। ग्राम में प्रधान नहीं होने के कारण गांव वाले ने सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार कार्य की असुविधा को देखते हुए वर्ष 2006 में संथाल रीति–रिवाज के अनुसार प्रधान के कर्त्तव्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु अपीलकर्त्ता को हांडीमांझी के रूप में मनोनीत किया गया, जो लगान की वसूली को छोड़कर संथाल रीति–रिवाज के सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हाड़ी मांझी को ही प्रधान नियुक्त करेंगे। यह रीति–रिवाज केवल सरकार के दामिन–इ–कोह इस्टेट में ही लागू है। मौजा–छोटा तालडीह दामिन–ई–कोह के अन्तर्गत आता है। अपीलकर्त्ता के द्वारा गांव वाले के पूरी संतुष्टि के साथ संथाल रीति–रिवाज के अन्तर्गत निरूपित कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे है। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 11.07.2007 को निम्न न्यायालय में प्रधान की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। उसका पी0ए0वाद सं0–09/2007–08 संस्थित किया गया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा भी	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

दिनांक 27.07.2007 को प्रधान के पद पर गलत रूप से दावा करते हुए यह कहकर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया कि उनका पिता उस मौजा के अन्तिम प्रधान थे। निम्न न्यायालय में इनके आवेदन पर पी0ए0 वाद सं0–16/2007 संस्थित किया गया। अपीलकर्त्ता को जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तरवादी प्रथम् पक्ष के पिता के द्वारा दिनांक 08.09.2006 को निम्न न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु गलत रूप से आवेदन दिया गया था कि उसका पिता नियुक्त प्रधान थे एवं प्रधानी मान जमीन उसके पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। इसलिए वे वंशानुगत के आधार पर प्रधान पद पर नियुक्ति होना चाहते थे। लेकिन प्रधान नियुक्ति की प्रकिया लंबित रहने की स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उत्तरवादी प्रथम् पक्ष के पिता अथवा उसका दादा कभी भी मौजा–छोटा तालडीह के नियुक्त प्रधान नहीं थे। उत्तरवादी प्रथम् पक्ष का दावा गलत है।

निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी नं0–3 अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन को महज अग्रसारित करने वाला था। आपत्ति के बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विश्वास करते हुए विपक्षी शिवचरण मराण्डी के गलत वंशानुगत दावा को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने उक्त प्रतिवेदन को गलत, आधारहीन, दिग्भ्रमित एवं एक तरफा प्रतिवेदन बताया है। निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी द्वितीय पक्ष 16 आना रैयत को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के नियम 6 (proviso) of 13 एवं शिड्युल–V के अन्तर्गत धारा 5 अथवा धारा 6 के अन्तर्गत सूचना देने के अनिवार्य प्रावधान का बिना पालन किये ही प्रधान की नियुक्ति कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी प्रथम् पक्ष को वंशानुगत के आधार पर दिनांक 09.07.2009 को गलत रूप से प्रधान नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा नियम संगत आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया। लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि मौजा–छोटा तालडीह, अंचल–

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आमडापाड़ा के खतियानी प्रधान गनसा मराण्डी थे। उनका एक मात्र पुत्र शिवले मराण्डी थे एवं शिवले मराण्डी का एक मात्र पुत्र मुंशी उर्फ चुनकू मराण्डी थे एवं उनका एक मात्र पुत्र कमीशन मराण्डी अपीलकर्त्ता है। खतियानी प्रधान गनसा मराण्डी की मृत्यु के बाद न ही उसका पुत्र शिवले मराण्डी और न ही उनका पोता चुनकू मराण्डी प्रधान के पद पर नियुक्त हुए और न ही कभी भी प्रधान का कार्य किये। इसलिए वंशावली के आधार पर अपीलकर्त्ता का प्रधान के पद पर नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। वही दूसरी ओर उत्तरवादी शिवचरण मराण्डी के पिता मुंशी मराण्डी नियुक्त प्रधान थे एवं 35 वर्षो तक प्रधान का कार्य 16 आना रैयतों के संतुष्टि से संभालते रहे। दिनांक 23.06.2007 को उनकी मृत्यु हो गई है। मुंशी मराण्डी के पिता सुफल मराण्डी अपने जीवित काल में प्रधान का कार्य किया है। इनके द्वारा वंशावली तैयार किया गया है, जिसमें सुफल मराण्डी का पुत्र मुंशी मराण्डी अंतिम प्रधान एवं मुंशी मराण्डी का पुत्र शिवचरण मराण्डी उत्तरवादी को दर्शाया गया है। उत्तरवादी के पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 27.07.2007 को उत्तरवादी के द्वारा वंशानुगत के आधार पर प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी के पिता मुंशी मराण्डी के जीवित काल में दिनांक 08.09.2006 को अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया गया था कि वे वृद्ध हो चुके है। उनके स्थान पर उनका पुत्र शिवचरण मराण्डी को प्रधान नियुक्त किया जाय। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से जांच प्रतिवेदन मांगी गई। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के पत्रांक 367 दिनांक 07.09.2007 के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया एवं पत्रांक 22 दिनांक 29.01.2009 के द्वारा जमाबन्दी रैयतों की सूची भेजी गई। जांच प्रतिवेदन में मुंशी मराण्डी पिता स्व0 सुफल मराण्डी 35 वर्षो से प्रधान का कार्य संभालने की बात आयी है। उत्तरवादी शिवचरण मराण्डी अन्तिम प्रधान का एकमात्र पुत्र है। वही दूसरी ओर अपीलकर्त्ता खतियानी प्रधान गनसा मराण्डी के परपोता है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अन्तिम प्रधान मुंशी मराण्डी का पंजी–II में नाम दर्ज है, जो Indian evidence Act की Sec.-74 के तहत Public document

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	

है। इनका यह भी तर्क है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कही भी जिक्र नही है कि हाड़ी मांझी प्रधान का कार्य करेंगे। इनके द्वारा सदृश्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के Double Bench द्वारा निर्णित मामले जो BLJR 1978 के पृष्ठ 448 से 450 पर reported है के साथ–साथ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय reported in 2003(3) JCR 7416 का हवाला देते हुए वंशावली के आधार पर नियुक्ति को अग्राधिकार देने के प्रावधान के संबंध में जिक्र करते हुए अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा।

इनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी के द्वारा उनके पिता के मृत्यु के बाद 90 दिनों के अन्दर समयान्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी शिवचरण मराण्डी को योग्य पाते हुए सौलह आना रैयतों की सहमति एवं वंशावली के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सही एवं उचित आदेश बताते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा उनलोगों के द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न न्यायालयों द्वारा सदृश्य मामले में पारित आदेशों से संबंधित Rulings निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तरवादी शिवचरण मराण्डी की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से प्राप्त उस जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रधान पद पर श्री शिवचरण मराण्डी की नियुक्ति की गयी है जिसमें अन्य बातों के अलावे यह प्रतिवेदित किया गया है कि वे (श्री शिवचरण मराण्डी) अंचल में संधारित ~~पंजी II~~ ग्राम पंजी में अंकित स्व0 मुन्शी मराण्डी, प्रधान का पुत्र है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से अपीलकर्त्ता का यह आपत्ति प्रमाणित नहीं होता है कि 16 आना रैयत को बिना सूचना दिये ही प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया

प्रधानी वसूली

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

क्योंकि इस संबंध में निम्न न्यायालय में संस्थित पी0ए0 केस नं0 –09/07–08 एवं 16/2007–08 में 16 आना रैयतों को निर्गत सूचना का तामिला संलग्न है।

यहां विचारणीय बिन्दु (i) यह है कि जब मुन्शी मरांडी विषयांकित मौजा के प्रधान थे तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार विगत 35 वर्षो से प्रधानी का कार्य नियमित रूप से चला रहे थे तो फिर क्यों उनके द्वारा दिनांक 08.09.2006 को मौजा – छोटा तालडीह के लिये प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसके लिये निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 केस नं0 –80/2006–07 संस्थित किया गया। (ii) दुसरा विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या हांडी मांझी को S.P.T (Supplementary Provisions) Act 1949 के तहत प्रधान पद पर नियुक्ति का प्रावधान है ?

विचारणीय बिन्दु (i) के समर्थन में न ही अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा, न हीं निम्न न्यायालय द्वारा और न ही उत्तरवादी द्वारा कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य (Documentary evidence) अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि श्री मुन्शी मरांडी की नियुक्ति अमुक पी0ए0 वाद सं0/वर्ष से दिनांक – को उक्त मौजा के प्रधान पद पर किया गया था। स्पष्टतः मुन्शी मरांडी की नियुक्ति प्रश्नागत मौजे के प्रधान पद पर नियमानुकूल सक्षम प्राधिकार द्वारा किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन किस प्रकार उनका नाम अंचल कार्यालय के प्रधानी मौजा के मांग पंजी में अनधिकृत रूप से किस वर्ष दर्ज हुआ तथा किस वर्ष से उनके द्वारा रैयतों से लगान वसूली कर अंचल कार्यालय में लगान जमा कराया जाता रहा, इसके संबंध में भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य न हीं अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के द्वारा और न ही उत्तरवादी के द्वारा ही दाखिल किया गया। इतना ही नहीं उत्तरवादी द्वारा किस वर्ष से उनके पिता द्वारा रैयतों से लगान की वसूली कर सरकारी खजाना में राशि जमा किया जाता रहा, से संबंधित कोई कागजी सबूत (Documentary evidence) दाखिल नहीं किया गया और नहीं जमा किए गए लगान के विरूद्ध उनके पिता को मिले कमीशन (Commission) की राशि के संबंध में ही कोई सबूत दाखिल किया गया।

दुसरे विचारणीय बिन्दु के संबंध में S.P.T (Supplementary Provisions) Act 1949 के अन्तर्गत हांडी मांझी को प्रधान पद पर नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः अवैध तरीके से अंचल के प्रधानी मौजा के मांग पंजी में दर्ज किये गये प्रविष्टी के आधार पर उत्तरवादी के पिता को अंतिम नियुक्त प्रधान नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के उस जॉच प्रतिवेदन जिसमें प्रश्नगत प्रधानी मौजा के मांग पंजी में प्रधान के रूप में मुन्शी मरांडी का नाम दर्ज है –

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	3
	के आधार /बिनहा पर अंतिम नियुक्त प्रधान के वंशज के रूप में श्री शिवचरण मरांडी को वंशानुगत आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा प्रधान पद पर की गयी नियुक्ति S.P.T (Supplementary Provisions) Act 1949 की धारा 6 के प्रावधानों के साथ–साथ Sub rule 6 (Proviso) of rule -13 of S.P.T. rule के विरूद्ध होने के कारण अवैध एवं अनियमित पाते हुए निरस्त (Set aside) करते हुए इस वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को इस निदेश के साथ Remand किया जाता है कि वे माननीय पटना उच्च न्यायालय के Double Bench द्वारा निर्णित ठाकुर हेम्ब्रम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में पारित आदेश जो B L J R 1978 के पृष्ठ 448 से 450 पर Reported है, के साथ–साथ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा JCR 7416/2003(3) में Reported मामले को आत्मसात करते हुए अंचल आमड़ापाड़ा के प्रधानी मौजा – छोटा तालडीह के लिये प्रधान की नियुक्ति, आदेश प्राप्ति के आठ सप्ताह के अन्दर पुरा करें। आदेश से उभय पक्षों के विद् अधिवक्ताओं को अवगत करावें। अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण इस बाद में पूर्व में आदेश पारित नहीं किया जा सका। आज मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से आदेश पारित किया गया। लेखापित एवं संशोधित [signature] 7/11/17 उ पा यु क्त, पाकुड़। [signature] 7/11/17 उ पा यु क्त, पाकुड़।	Seen [signature] 7.11.17 AAC Seen [signature] Advocate 01/11/17 आदेश ज्ञापांक 102/ऽ०को० दिनांक 5/12/17 के द्वारा निम्न-न्यायालय का अभिलेख का प्रेषण।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.16 16:51:35 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner